

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 1978/चैत्र 2, 1900
No 149] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 1978/CHAITRA 2, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्णिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1978

निर्यात व्यापार विधिवन

क्र० आ० 202 (अ)/(सहाई (सी) क्र० 1977/ए० एम० (46).—आयात-निर्यात (विशेषण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इस केन्द्रीय सरकार
एतद्द्वारा निर्यात (विशेषण) आदेश, 1977 में और सहायन क्रम के लिए निम्नलिखित आदेश
का निर्माण करती है, अर्थात्

1 इस आदेश का निर्यात (विशेषण) तैरहवा सहायन आदेश 1978 का मज़ा दी जाए।

- 2 निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" में क्रम सख्या-3 के सामान आने वाले वनमान प्राविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
'कच्चे चमड़ा और खाल (केवल मेमनें के फर वाले चमड़े को छोड़कर, कच्चा और लवणित और नगर निगम समिति द्वारा घोषित बावारिस कुत्तों का चमड़ा) —सर्वा प्रकार के'

[मिलि सख्या-1/8/78-ई-1]

क्र० वें० शेवाद्रि, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 23rd March, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 262/E/No. E(C)O, 1977/AM (46) —In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirteenth Amendment Order, 1978.

2. In Part 'A' of Schedule 1 to the Exports (Control) Order, 1977, the existing entry appearing against S. No. 32 shall be substituted by the following:

"Raw hides and skins (except lamb fur skins, raw and pickled and stray dog skins as certified by a Municipal Committee)— all types."

[F. No. 1/8/78/EI]

K. V. SHASHADRI, Chief Controller